| | | |
|---|---|---|
| 20.1.26 | पत्रावली वास्ते तिथि पेश हुई। उप-<br>स्थित [illegible] विभाग [illegible] [illegible]<br>[illegible] है। पिछली तिथि [illegible] [illegible]<br>[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]<br><br>आदेश सुनाया गया। | GCMS<br>2024/695 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 344/2024 CCMS:-2024/695 दायर दिनांक : 11.11.2024

रतनलाल उर्फ रतीराम पुत्र गंगाबिशन जाति ब्राह्मण निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. गौरीशंकर पुत्र गंगाबिशन जाति ब्राह्मण निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. महावीर पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज मार्फत तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़
4. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई., शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. शाखा प्रबन्धक, कैनरा बैंक, शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

उपस्थित :
1. श्री कैलाश पारीक, अभिभाषक वादी
2. श्री मूल चन्द शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1–2
3. पैरोकार राज

### निर्णय दिनांक : 20.01.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1–2 के नाम अंकित खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही कानपालसर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 59/45 के खसरा नं. 205 में 4.502 है0 व खसरा नं. 99 में 9.420 है0, कुल 13.922 है0 बारानी प्रथम भूमि का वाद में अंकित मुताबिक घरू बंटवारा व कब्जा काश्त खाता विभाजन किये जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:29 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

निवेदन किया और प्रतिवादीगण सं. 1–2 ने इकबाल दावा प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1–2 द्वारा घरू बंटवारा अनुसार विशिष्ट भूमि पर काबिज काश्त होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर, बाद सुनवाई दिनांक 24.03.202 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर वादी व प्रतिवादीगण के नाम से अंकित जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि वाके 'रोही कोनपालसर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 59/45 के खसरा नं. 205 में 4.502 है0 व खसरा नं. 99 में 9.420 है0, कुल 13.922 है0 बारानी प्रथम भूमि का खाता विभाजन किये जाने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा बनाये गये नियम 18 से 21 के अनुसरण में पक्षकारान के मौके पर चले आ रहे कब्जे, रास्ता व सिंचाई आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त खाते की भूमि का अंकित काश्तकारान के हिस्सा अनुसार भूमि का स्पष्ट नक्शा सहित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश दिये गये। आदेश की पालना में तहसीलदार सूरतगढ़ के पत्र क्रमांक : 5084 दिनांक 25.11.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर सुनवाई की गई।

विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन किये जाने व इसी अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी करने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादीगण की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई पर पाया कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार पक्षकारान के मौके पर चले आ रहे कब्जे, रास्ता, सिंचाई आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। सुनवाई के समय भी पक्षकारों द्वारा तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। विभाजन [illegible] में रास्ता सभी को उपलब्ध हो, इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:29 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन अनुसार तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा वाके रोही कोनपालसर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं.

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

59 / 45 के खसरा नं. 205 में 4.502 है0 व खसरा नं. 99 में 9.420 है0, कुल 13.922 है0 बारानी प्रथम भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा स्वीकार कर तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को निम्न प्रकार से संलग्न नक्शानुसार पक्षकारान के माम से अलग खाता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं :–

| नाम खातेदारान | ग्राम / चक | खसरा सं. | रकबा |
|---|---|---|---|
| **रतनलाल उर्फ रतीराम पुत्र गंगाबिशन** जाति ब्राह्मण साकिन देईदासपुरा खातेदार रहन बदस्तूर | कोनपालसर | 99 | 3.275 है0 |
| | | 205 | 1.365 है0 |
| | | | **कुल 4.640 है0 बारानी** |
| **गौरीशंकर पुत्र गंगाबिशन** जाति ब्राह्मण साकिन देईदासपुरा खातेदार रहन बदस्तूर | कोनपालसर | 99 | 2.491 है0 |
| | | 205 | 2.150 है0 |
| | | | **कुल 4.641 है0 बारानी** |
| **महावीर पुत्र भागीरथ** जाति ब्राह्मण साकिन देईदासपुरा खातेदार रहन बदस्तूर | कोनपालसर | 99 | 3.654 है0 |
| | | 205 | 0.987 है0 |
| | | | **कुल 4.641 है0 बारानी** |

इसी अनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार संलग्न नक्शा में पक्षकारान की भूमि दर्शायी गई है। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार पक्षकारान का अलग–अलग खाता कायम करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 20.01.2026 को निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

# अन्तिम डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

---

**अनवान :–**

रतनलाल उर्फ रतीराम पुत्र गंगाबिशन जाति ब्राह्मण निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. गौरीशंकर पुत्र गंगाबिशन जाति ब्राह्मण निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. महावीर पुत्र भागीरथ जाति ब्राह्मण निवासी देईदासपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज. मार्फत तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़
4. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई., शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
5. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
6. शाखा प्रबन्धक, कैनरा बैंक, शाखा सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 344 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल किताई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री कैलाश पारीक व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1–2 श्री मूल चन्द शर्मा एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर **अन्तिम डिक्री** जारी कर निम्न प्रकार आदेशित किया जाता है :

**तहसीलदार, सूरतगढ़ द्वारा वाके रोही कोनपालसर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता सं. 59/45 के खसरा नं. 205 में 4.502 है0 व खसरा नं. 99 में 9.420 है0, कुल 13.922 है0 बारानी प्रथम भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा स्वीकार कर तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को निम्न प्रकार से संलग्न नक्शानुसार पक्षकारान के नाम से अलग खाता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं :–**

| नाम खातेदारान | ग्राम/चक | खसरा सं. | रकबा |
|---|---|---|---|
| **रतनलाल उर्फ रतीराम पुत्र गंगाबिशन** जाति ब्राह्मण साकिन देईदासपुरा खातेदार रहन बदस्तूर | कोनपालसर | 99 | 3.275 है0 |
| | | 205 | 1.365 है0 |
| | | | **कुल 4.640 है0 बारानी** |
| **गौरीशंकर पुत्र गंगाबिशन** जाति ब्राह्मण साकिन देईदासपुरा खातेदार रहन बदस्तूर | कोनपालसर | 99 | 2.491 है0 |
| | | 205 | 2.150 है0 |
| | | | **कुल 4.641 है0 बारानी** |
| **महावीर पुत्र भागीरथ** जाति ब्राह्मण साकिन देईदासपुरा खातेदार रहन बदस्तूर | कोनपालसर | 99 | 3.654 है0 |
| | | 205 | 0.987 है0 |
| | | | **कुल 4.641 है0 बारानी** |

**इसी अनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार संलग्न नक्शा में पक्षकारान की भूमि दर्शायी गई है। तहसीलदार (राजस्व) ... को राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार पक्षकारान का अलग–अलग खाता कायम ... प्रदान किये जाते हैं।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:29 IST
Reason: Self Attested

नोज .........×......... मुबलिग .........×......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..............×.............. फी सैकड़ा सालाना ...........×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20.01.2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़